

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2012—वैशाख 7, शक 1934

## भाग ४

### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 4-स्था.-विधि निर्वा.-2007-206.—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं तकनीकी) निर्वाचन सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नानुसार

संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. “अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-एक  
(नियम-5 देखिए)

#### वर्गीकरण, वेतनमान एवं पदों की संख्या तथा सेवा में सम्मिलित पद का नाम

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या		वर्गीकरण	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	-	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3600
2	सहायक प्रोग्रामर	2	-	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3600
3	सहायक ग्रेड-1	6	-	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200
4	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	1	-	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2800
5	मानचित्रकार	1	-	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400
6	सहायक ग्रेड-2	8	-	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400
7	सहायक ग्रेड-3	10	-	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900
8	वाहन चालक	1	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900
9	मेकैनिक्	1	-	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900
10	सहायक मेकैनिक्	1	-	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900

2. “अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-चार  
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कॉलम (2) में दर्शित पद पर सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विधि (निर्वाचन)	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	5 वर्ष	1. अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी—अध्यक्ष.
विभाग.	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	2. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ लेखा अधिकारी—सदस्य.
	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	3. आरक्षित वर्ग से एक अधिकारी— सदस्य.
	सहायक मैकेनिक्	मैकेनिक्	5 वर्ष	
	भृत्य	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	

No. 04-1-Estt-2007-Law (Ele) 206.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Election Services Class-III (Ministerial and Technical) Election Service Recruitment Rules, 2007 namely :—

#### AMENDMENTS

In the said Rules,—

1. For schedule-I, the following schedule shall be substituted, namely :—

#### “SCHEDULE-I

(See Rule 5)

#### Classification, Scale of Pay, Number of Post and Name of Post Included in the Service

S. No.	Name of posts included in the service	Number of Posts		Classification	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Senior Stenographer	1	—	III	Rs. 9300—34800+3600
2	Assistant Programmer	2	—	III	Rs. 9300—34800+3600
3	Assistant Grade-I	6	—	III	Rs. 9300—34800+3200
4	Junior Stenographer	1	—	III	Rs. 5200—20200+2800
5	Draftsman	1	—	III	Rs. 5200—20200+2400
6	Assistant Grade-II	8	—	III	Rs. 5200—20200+2400
7	Assistant Grade-III	10	—	III	Rs. 5200—20200+1900
8	Driver	1	1	III	Rs. 5200—20200+1900
9	Mechanic	1	—	III	Rs. 5200—20200+1900
10	Assistant Mechanic	1	—	III	Rs. 5200—20200+1900

2. For Schedule IV, the following schedule shall be substituted, namely:—

#### SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Number of years service on the post shown in Column Number (2)	Name of the members of the Departmental Promotion Committee (See Rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Law (Election) Department.	Junior Stenographer	Senior Stenographer	5 Years	1. Additional/Joint Chief Electoral Officer— <b>Chairman.</b> 2. Deputy Chief Electoral Officer/Accounts Officer— <b>Member.</b> 3. One Officer from Reserved Category— <b>Member.</b>
	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 Years	
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 Years	
	Assistant Mechanic	Mechanic	5 Years	
	Peon	Assistant Grade-III	5 Years	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयदीप गोविंद, प्रमुख सचिव.

## मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. भसकमं.-स्था.-भ.नि.-12-710-शुद्धिपत्र.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. भसकमं.-स्था.-भ.नि.-12-547, दिनांक 9 मार्च 2012 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के भर्ती नियम का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-4(ग), दिनांक 16 मार्च 2012 को पृष्ठ क्रमांक 192 से 202 पर किया गया है जिसमें त्रुटिवश अनुसूची-चार का प्रकाशन छूट गया है. जिसे अनुसूची-तीन के बाद अनुसूची-चार निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

### अनुसूची-चार

अनु.- क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	वांछित अनुभव	पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कल्याण पर्यवेक्षक	कल्याण अधिकारी	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम सदस्य—श्रमायुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य जो उप श्रमायुक्त से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित स्तर का अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.
2	सहायक वर्ग-2	सहायक वर्ग-1	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—मण्डल का सचिव. सदस्य—प्रमुख सचिव/सचिव श्रम द्वारा नामांकित सदस्य जो अवर सचिव से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का कोई सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का श्रमायुक्त द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.
3	सहायक लेखापाल	लेखापाल	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—मण्डल का सचिव. सदस्य—प्रमुख सचिव/सचिव श्रम द्वारा नामांकित सदस्य जो अवर सचिव से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का कोई सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का श्रमायुक्त द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.
4	सहायक वर्ग-3	सहायक वर्ग-2	न्यूनतम पांच वर्ष का सेवा अनुभव.	अध्यक्ष—मण्डल का सचिव. सदस्य—प्रमुख सचिव/सचिव श्रम द्वारा नामांकित सदस्य जो अवर सचिव से निम्न न हो. सदस्य—अध्यक्ष द्वारा नामांकित मण्डल का कोई सदस्य. सदस्य—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का श्रमायुक्त द्वारा नामांकित कोई राजपत्रित अधिकारी यदि उक्त सदस्यों में से कोई इस वर्ग का न हो.

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त पदोन्नतियों अनुसूची-एक एवं दो में वांछित प्रावधान होने पर की जा सकेंगी.

प्रभात दुबे, सचिव.